-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 23.02.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना मटौंध पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त (गैंग सदस्य) को अवैध तंमचा व कारतूस के साथ किया गया गिरफ्तार।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना मटौध पुलिस द्वारा गिरोह बनाकर वाहनों की चोरी करने वाले गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त (गैंग सदस्य) को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त एक संगठित वाहन चोर गिरोह का सक्रिय सदस्य है, जो अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर दो पहिया व चार पहिया वाहनों चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था जिसके सम्बन्ध में थाना मटौंध में गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था और वांछित चल रहा था जिसे थाना मटौंध पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को दुरेंडी मार्ग रेलवे अण्डर ब्रिज के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मुक्कू पुत्र रामकिशोर निवासी दुरेंड़ी थाना मटौंध जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मुक्कू उपर्युक्त-

1. मु0अं0सं0 186/16 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मटौंध जनपद बांदा।
2. मु0अं0सं0 136/23 धारा 457/380 भादवि थाना गौरिहार जनपद छतरपुर।
3. मु0अं0सं0 145/23 धारा 379/411 भादवि थाना मटौंध जनपद बांदा।
4. मु0अं0सं0 148/23 धारा 379/411 भादवि थाना मटौंध जनपद बांदा।
5. मु0अं0सं0 223/25 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना मटौंध जनपद बांदा।
6. मु0अं0सं0 36/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मटौंध जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री दीपेन्द्र सिंह प्र0नि0 थाना मटौंध
2. श्री बुद्धीसागर चौकी प्रभारी भूरागढ़
3. कां0 आशुतोष राजपूत
4. कां0 आशू सिंह
5. कां0 शुभम मिश्रा